उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग
संख्या–731 / V-2-53(आ0) / 2014
देहरादून : दिनांक 06 जून, 2014
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं राज्य विकास क्षेत्रों के लिए श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार राज्य प्राधिकरण का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जो उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कहलायेगा:–

1–	मा0 आवास मंत्री–	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव / सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	उपाध्यक्ष
3–	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो–	मुख्य प्रशासक
4–	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो–	अपर मुख्य प्रशासक
5–	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
6–	प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन –	पदेन सदस्य
7–	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन –	पदेन सदस्य
8–	प्रमुख सचिव / सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन –	पदेन सदस्य
9–	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन –	पदेन सदस्य
10–	प्रमुख सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन –	पदेन सदस्य
11–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड –	पदेन सदस्य
12–	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण –	सदस्य
13–	राज्य सरकार द्वारा नामित 2 गैरसरकारी सदस्य–	

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

2/

संख्या–926 / v-2–2014–53(आ0) / 2014

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

1– प्रमुख सचिव,
उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

5– सचिव,
पर्यटन
उत्तराखण्ड शासन।

6– सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

7– वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2014

विषय: उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–731 / V / आ0–2–53(आ0) / 2014, दिनांक 06 जून, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

2– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक मा0 आवास मंत्री की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित सभा कक्ष संख्या–120 में दिनांक 13 अगस्त, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे आहूत की जानी प्रस्तावित है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में यथातिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या–926 / v / आ0–2014–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन / मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

(2) अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन / अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

D:\Awas-Section-2\MDDA\MDDA Letter 2014.doc

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

नवगठित राज्य स्तरीय प्राधिकरण की प्रथम बैठक का एजेण्डा

दिनांक 13 अगस्त, 2014
स्थान–कक्ष सं0–120, विधान सभा भवन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय सूची

कमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**उत्तराखण्ड आवास एवं नगर** विकास प्राधिकरण के कृत्य।	
2	**उत्तराखण्ड आवास एवं नगर** विकास प्राधिकरण हेतु **प्रस्तावित पदों का विवरण तथा** स्वीकृति।	
3	**उत्तराखण्ड आवास एवं नगर** विकास प्राधिकरण कार्यालय **संचालन हेतु स्टाफ आदि की तात्कालिक व्यवस्था के सन्दर्भ में ।**	
4	आवास एवं नगर विकास **प्राधिकरण गठन** हेतु तात्कालिक व्यवस्था हेतु अनुमानित **व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**	
5	**आवास एवं नगर** विकास प्राधिकरण गठन हेतु सीड कैपिटल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
6	हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का मास्टर **प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में**	
7	अन्य स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन हेतु सर्वेक्षण कर **प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।**	
8	शॉपिंग माल एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में कार पार्किंग की व्यवस्था करना।	
9	ई0डब्लू0एस भवनों के निर्माण एवं उसके आवंटन के सन्दर्भ में ।	
10	गैरसैंण में विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र के **गठन पर विचार।**	
11	दैवीय **आपदा से प्रभावित** क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन **रोकने हेतु विचार किया जाना ।**	
12	उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का **संवर्धन) अधिनियम, 2010 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिनियम तैयार किया जाना।**	
13	**उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिनियम तैयार किया जाना।**	
14	प्राधिकरणों हेतु लैंडबैंक की व्यवस्था किया जाना ।	
15	स्थानीय विकास प्राधिकरणों में हो रहे अवैध निर्माण पर **नियंत्रण किया जाना।**	

विषय कमांक–1

विषय : उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कृत्य

- राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता का आंकलन करना।
- नियोजित विकास हेतु से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना।
- पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन को संस्तुति देना ।
- प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर यथोचित दिशा–निर्देश देना।
- अधिसूचित क्षेत्रों में योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्यों हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण, स्थानीय नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना।
- अधिसूचित/विकास क्षेत्रान्तर्गत वृहद योजनाओं की स्वीकृति देना तथा इस संबंध में स्थानीय विकास प्राधिकरण/निकायों के माध्यम से प्रवर्तन/पर्यवेक्षण कार्य करना।
- लाभदायक वृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजना की परिकल्पना तैयार करना, वित्त पोषण की व्यवस्था तथा परियोजना का कियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराना, ।
- आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा इसका उपयोग लोक निजी सहभागिता/स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्वयं करवाना।
- राज्य के लिये हितकारी वृहद परियोजनाओं को लोक निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने हेतु आवश्यक प्रकियाएं पूरी करना।
- स्थानीय विकास प्राधिकरण के लिये आवासीय एवं अवस्थापना विकास कार्य से संबंधित दिशा–निर्देश तैयार कर अनुपालन कराना।
- कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार करना।
- प्राधिकरण कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करते हुए उसे आवंटित करना।
- ऐसे अन्य दायित्व का निवर्हन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जाये।
- स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना।

उक्त अवलोकनार्थ।

विषय क्रमांक–2

विषय : उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण तथा स्वीकृति।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पद
1	2	3	4
क	प्रशासनिक संवर्ग		
1	मुख्य प्रशासक		01
2	अपर मुख्य प्रशासक		01
ख	मुख्यालय अभियंत्रण संवर्ग		
3	अधीक्षण अभियंता	15600–39100–7600	01
4	अधिशासी अभियंता	15600–39100–6600	02
5	सहायक अभियंता	15600–39100–5400	06
6	अवर अभियंता	9300–34800–4200	12
7	सम्पत्ति प्रबन्धक	9300–34800–4200	03
ग	नियोजन संवर्ग		
8	मुख्य नगर नियोजक	15600–39100–7600	01
9	नगर नियोजक	15600–39100–6600	02
10	सहायक नगर नियोजक	15600–39100–5400	04
14	वरिष्ठ मानचित्रकार	9300–34800–4600	02
15	मानचित्रकार	9300–34800–4200	03
घ	विधि सेल		
18	विधि अधिकारी	15600–39100–7600	01
19	सहायक विधि अधिकारी	15600–39100–5400	02
च	लेखा संगठन		
20	वित्त नियंत्रक	37400–67000–8700	01
21	लेखाधिकारी	15600–39100–5400	01
22	लेखाकार	9300–34800–4600	02
23	सहायक लेखाकार	9300–34800–4200	04
24	लेखा लिपिक	5200–20200–2800	04
छ	राजस्व संगठन		
25	तहसीलदार	प्रतिनियुक्ति पर	01
26	नायब तहसीलदार	प्रतिनियुक्ति पर	01
27	पटवारी	प्रतिनियुक्ति पर	02
ज	लिपिकीय संवर्ग		
28	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600	01
29	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4200	02
30	मुख्य सहायक	5200–20200–2800	04
31	प्रवर सहायक	5200–20200–2400	08
32	कनिष्ठ सहायक	5200–20200–1900	06
झ	लिपिकीय (वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक) संवर्ग		

33	वैयक्तिक सहायक (1)	9300—34800—4600	01
34	वैयक्तिक सहायक (2)	9300—34800—4200	02
35	आशुलिपिक (1)	5200—20200—2800	01
36	आशुलिपिक (2)	5200—20200—2400	04
	वाहन चालक संवर्ग		
37	चालक	आउट सोर्सिंग	08
	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
38	अनुसेवक	आउट सोर्सिंग	20
39	चौकीदार	आउट सोर्सिंग	02
40	माली	आउट सोर्सिंग	01
41	स्वच्छक	आउट सोर्सिंग	04
		कुल पद	123

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का (प्रस्तावित ढांचा)

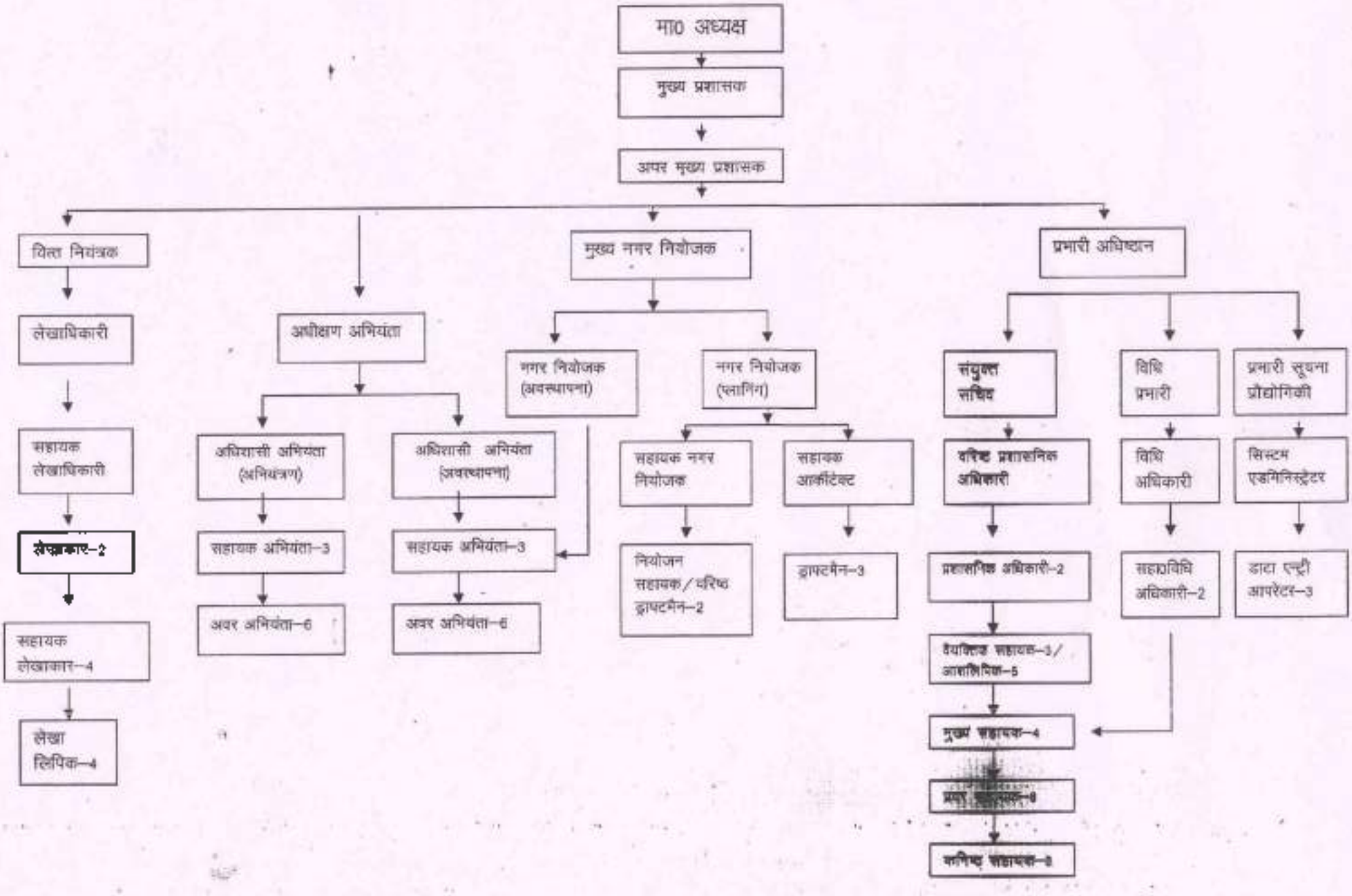

विषय क्रमांक–3

विषय : <u>उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय संचालन हेतु स्टाफ आदि की तात्कालिक व्यवस्था के सन्दर्भ में ।</u>

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा–4(1) के अधीन आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का गठन उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 731 / अ–2–53 (आ0) / 2014 दिनांक 6.6.2014 द्वारा किया गया है ।

प्राधिकरण संचालन हेतु तात्कालिक अस्थाई व्यवस्था के लिए एम0डी0डी0ए0 के श्री राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स डिस्पेंसरी रोड पर तृतीय तल पर उपलब्ध स्पेस में कार्यालय संचालन करने हेतु आन्तरिक कैबिनों का निर्माण तथा आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम कार्य कराया जा रहा है। अतः तात्कालिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :–

- नगर नियोजक– स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन तथा पुनर्गठन करने, विकास क्षेत्रों हेतु महायोजना तैयार करने की औपचारिकतायें तथा प्रदेश स्तर पर बाईलॉज आदि तैयार करने के दृष्टिगत नियोजन हेतु ।

- अधिशासी अभियन्ता– आवासीय योजना का स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना, स्थानीय प्राधिकरण हेतु भूमि बैंक, परियोजना परिचालन एवं डी0पी0आर0, बाह्य सहायतित योजना का प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा अधिनियम में वर्णित दायित्वों का निर्वहन हेतु सुनियोजित विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु ।

- प्रशासनिक अधिकारी, पांच वैयक्तिक सहायक, दो लिपिक, पांच अर्दली (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एक चौकीदार तथा लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु एक लेखाकार सहित दो डाटा एन्ट्री आपरेटर तैनात किये जाने है, जिनको विभिन्न प्राधिकरणों में उपलब्ध कार्मिकों अथवा आउटसोर्स के माध्यम से एक निश्चित अवधि (एक वर्ष) हेतु तैनाती ।

- प्रदेश स्तरीय विकास प्राधिकरण को ई–आफिस के रूप में विकसित करने हेतु एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की शीघ्र तैनाती वर्तमान स्थानीय प्राधिकरण से अथवा आउटसोर्स के माध्यम से किया जाना आवश्यक है । ताकि प्रदेश स्तर का प्राधिकरण गठन के प्रारम्भ से ही पूर्णतया कम्प्यूटराईज्ड हो सके एवं उत्तराखण्ड शासन की नीति के अन्तर्गत ई–गवर्नेंस सिस्टम लागू हो सके ।

- एक नियोजन सहायक, एक ड्राफ्टमैन, 02 अवर अभियन्ता (सिविल), एक सहायक अभियन्ता एक असिस्टेंट आर्कीटेक्ट को आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक निश्चित अवधि (एक वर्ष) हेतु तैनात किये जाने हेतु ।

- पांच कम्प्यूटर, 02 प्रिन्टर स्कैनर, 02 फोटो स्टेट मशीन, 03 टेलीफोन, एक फैक्स मशीन 10 सेल फोन, 02 आलमारी कार्यालय हेतु आफिस फर्नीचर, पर्दे, कारपेट, 03 ए0सी0, स्टेशनरी इत्यादि हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था समस्त प्राधिकरणों से अंशदान ।

- तात्कालिक आकस्मिक व्यय वहन हेतु एक कोष स्थापित करने हेतु प्राधिकरणों से उक्त कोष सृजित किया जाय और शासन से भी सीडकैपिटल के रूप में प्राप्त करने हेतु कार्यवाही ।

- तात्कालिक रूप से दो वाहन मय ड्राईवर किराये पर लगाने हेतु।

उपरोक्त की स्वीकृति के पश्चात यदि कार्य हित में आवश्यक होने पर तात्कालिक व्यवस्था हेतु कार्मिक तथा आफिस फर्नीशिंग एवं आकस्मिक व्यय की स्वीकृति हेतु मुख्य प्रशासक अधिकृत करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित ।

[illegible]

विषय कमांक–4

विषय – आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण गठन हेतु तात्कालिक व्यवस्था हेतु अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुमानित व्यय

1–	तात्कालिक व्यवस्था हेतु कार्मिकों का वेतन	–	रू0 10 लाख प्रतिमाह अर्थात रू0 120.00 लाख
2–	कार्यालय रखरखाव	–	रू0 1.00 लाख प्रतिमाह अर्थात 12 लाख
3–	कार्यालय कक्षों का निर्माण	–	रू0 30 लाख
4–	कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी आदि	–	रू0 8.00 लाख
	कुल अनुमानित व्यय	–	रू0 170.00 लाख

(रू0 एक करोड़ सत्तर लाख मात्र)

विभिन्न प्राधिकरणों से अंशदान

1–	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	–	रू0 80 लाख
2–	दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	–	रू0 50 लाख
3–	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	–	रू0 50 लाख

विषय क्रमांक – 5

विषय : आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण गठन हेतु सीड कैपिटल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा–4(1) के अधीन आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का गठन उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 731/V–2–53 (आ0)/2014 दिनांक 6.6.2014 द्वारा किया गया है । उक्त प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य प्रशासक एवं अपर मुख्य प्रशासक की तैनाती शासनादेश संख्या–855/V–2–53 (आ0)/2014 दिनांक 16–7–2014 द्वारा की जा चुकी है और कार्यालय शीघ्र गतिशील किया जा रहा है। उत्तराखण्ड प्रदेश का यह राज्य स्तरीय नवगठित प्राधिकरण है इसलिये प्राधिकरण गठन हेतु सीड कैपिटल व प्रारम्भिक वर्षों के लिये अधिष्ठान व्यय इत्यादि हेतु रू0 5.00 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 6

विषय : हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का मास्टर प्लान बनाया जाना।

दिनांक 17 मई, 2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रुड़की से बिजौली बाईपास मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने एवं भगवानपुर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट व लक्सर के चारों ओर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए आगामी 15–20 वर्षों के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए महायोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 12 अगस्त, 2014 को मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक में हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के गठन पर सहमति प्रदान की गयी है। अतः उक्त विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार किए जाने की कार्यवाही की जाये तथा इस क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु नगर नियोजकों की एक टीम बनाकर नियत अवधि में महायोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक – 7

विषय : अन्य स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन हेतु सर्वेक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

दिनांक 17 मई, 2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, आदि क्षेत्रों में हो रहे निर्माणों को भी नियोजित स्वरुप दिये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश दिये गये। अतः हल्द्वानी विनियमित क्षेत्र एवं उसके आस पास के क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु उक्त क्षेत्र में

विकास प्राधिकरण के गठन हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी की सहायता से सर्वेक्षण की कार्यवाही कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही रुद्रपुर, काशीपुर एवं उसके आस पास में बढ़ रहे अनियोजित विकास को नियंत्रित करने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन के सन्दर्भ में सर्वेक्षण का कार्य कर प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

<u>विषय क्रमांक</u> – 8
विषय : शॉपिंग माल एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में कार पार्किंग की व्यवस्था करना।

राज्य में शॉपिंग माल एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंगो में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के प्राविधान के अनुसार कार पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कदम उठायें जाये तथा स्वीकृत मानचित्रों में पार्किंग हेतु भू–भाग/क्षेत्र स्वीकृत किया गया है, उसे किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग कर कड़ाई से अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पार्किंग व्यवस्था एवं पार्किंग का संचालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>विषय क्रमांक</u> – 9
विषय : ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण एवं उसके आवंटन के सन्दर्भ में ।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाई की संख्या का 15 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 इकाई के रुप में निर्मित करना विकासकर्ता का दायित्व होगा। निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवनों को निर्धारित दरों पर उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित किया जायेगा।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में यह भी व्यवस्था है कि उक्त हाउसिंग स्टॉक की निर्माण लागत व भूमि मूल्य के समतुल्य धनराशि को प्राधिकरण क्षेत्र में पृथक से सृजित शैल्टर फण्ड अन्तर्गत तथा प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में निर्धारित शासकीय मद में जमा किया जायेगा।

अतः उक्त ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटन एवं शैल्टर फण्ड हेतु धनराशि के निर्धारण हेतु शासन से अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेसित किया जाना प्रस्तावित है तथा स्थानीय प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा इस हेतु भवनों का चिन्हीकरण कर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानानुसार व्यवस्था सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी।

<u>विषय क्रमांक</u> – 10

विषय : गैरसैंण में विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र के गठन पर विचार।

गैरसैंण में विधान भवन के निर्माण एवं आस–पास के निर्माण को नियंत्रित करने एवं नियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरण के गठन अथवा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र के गठन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना।

उक्त क्षेत्र मेभवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाई की संख्या का 15 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 इकाई के रुप में निर्मित करना विकासकर्ता का दायित्व होगा। निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवनों को निर्धारित दरों पर उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित किया जायेगा।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में यह भी व्यवस्था है कि उक्त हाउसिंग स्टॉक की निर्माण लागत व भूमि मूल्य के समतुल्य धनराशि को प्राधिकरण क्षेत्र में पृथक से सृजित शैल्टर फण्ड अन्तर्गत तथा प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में निर्धारित शासकीय मद में जमा किया जायेगा।

अतः उक्त ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटन एवं शैल्टर फण्ड हेतु धनराशि के निर्धारण हेतु शासन से अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु अग्रेसित किया जाना प्रस्तावित है तथा स्थानीय प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा इस हेतु भवनों का चिन्हीकरण कर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानानुसार व्यवस्था सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी।

<u>विषय क्रमांक</u> – 11

विषय : दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु विचार किया जाना ।

दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु आस पास के सुरक्षित स्थल को चिन्हित कर छोटे–छोटे शहर/आबादी क्षेत्र विकसित करने हेतु विचार विमर्श।

<u>विषय क्रमांक</u> – 12

विषयः उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिनियम तैयार किया जाना।

इस एक्ट हेतु स्थानीय प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम पर विचार विमर्श किया जाये।

विषय क्रमांक – 13

विषयः उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिनियम तैयार किया जाना।

इस एक्ट हेतु स्थानीय प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम पर विचार विमर्श किया जाये।

विषय क्रमांक – 14

विषयः प्राधिकरणों हेतु लैंडबैंक की व्यवस्था किया जाना ।

दिनांक 17 मई, 2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रिक्त समस्त सरकारी भूमि को चिन्हित करते हुए बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण को आवासीय/व्यवसायिक निर्माण हेतु जिस सरकारी भूमि की आवश्यकता है, वह प्राधिकरण को सर्किल रेट पर उपलब्ध करायी जाये।

स्थानीय विकास प्राधिकरणों को इस हेतु जिलाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने पर विचार विमर्श।

विषय क्रमांक – 15

विषयः स्थानीय विकास प्राधिकरणों में हो रहे अवैध निर्माण पर नियंत्रण किया जाना।

इस हेतु अधिशासी अभियन्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें नगर नियोजन विभाग के सहायक नगर नियोजकों का भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त समिति अवैध निर्माणों की जांच कर रिपोर्ट शासन को सन्दर्भित करेगी तथा प्राधिकरण क्षेत्र में निर्मित समस्त ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में भी आख्या देगी।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त –

दिनांक 13–8–2014 को विधान सभा भवन कक्ष संख्या–120 में मा0 आवास मंत्री/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।

उपस्थिति –

1. श्री डी0एस0 गर्ब्याल, सचिव, आवास एवं नगर विकास/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड/उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्री विनयशंकर पाण्डे, अपर सचिव, आवास/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. श्री इन्दुधर बौड़ाई, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरबंस सिंह चुग, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
6. श्री एस0के0 पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

विशेष उपस्थिति –

7. श्री बंशीधर तिवारी, सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
8. श्री सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री पी0सी0 खरे, वित्त नियंत्रक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. श्री एन0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
11. श्री नरेन्द्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

विषय कमांक–1 उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कृत्य।

निर्णय – बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय कमांक–2 उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण एवं स्वीकृति।

निर्णय – बोर्ड के सदस्यों द्वारा नवसृजित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सुचारू रूप से संचालित करने एवं प्राधिकरण के उद्देश्यों, दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्तावित पदों के ढांचे के अन्तर्गत 01 अधिशासी अभियंता, 03 सहायक अभियंता, 06 अवर अभियंता तथा विधि प्रभारी एवं 01 सहायक विधि अधिकारी, 01 सहायक लेखाधिकारी के पदों को फिलहाल स्थगित करते हुए अवशेष प्रस्तावित कुल 95 पदों के सृजन पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय कमांक–3 उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय संचालन हेतु स्टाफ आदि की तात्कालिक व्यवस्था के संदर्भ में।

निर्णय – प्राधिकरण के शीघ्र कार्यालय संचालन हेतु स्टाफ आदि के तात्कालिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि विषय कमांक–2 के अन्तर्गत ढांचे की स्वीकृति शीघ्र करा ली जाये, जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के ढांचे के साथ–साथ स्थानीय प्राधिकरण के ढांचे का भी अनुमोदन एक साथ लिया जाए ताकि प्रस्तावित पदों की संख्या में डुप्लीकेसी न हो और राज्य प्राधिकरण एवं स्थानीय प्राधिकरण में स्वीकृत पद आवश्यकता से अधिक न हो। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार होने पर प्राधिकरण में अतिरिक्त पदों के सृजन पर सहमति व्यक्त की गयी।

मा० अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्राधिकरणों के ढांचे तथा पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया तथा शासन द्वारा राज्य विकास प्राधिकरण के ढांचे सहित स्थानीय प्राधिकरणों में आवश्यक पदों के सृजन पर कार्मिक एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर शीघ्र स्वीकृति करा ली जाए। तात्कालिक पदों के स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय कमांक–4 आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण गठन हेतु तात्कालिक व्यवस्था हेतु अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय – प्रस्तावानुसार अस्थायी रूप से कार्यालय का संचालन मसूरी देहरादन विकास प्राधिकरण के नवनिर्मित श्री राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स के तृतीय तल पर संचालित किया जाना है। अनुमानित व्यय के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अस्थायी रूप से निर्मित कार्यालय पर अत्यधिक व्यय न किया जाए और न्यूनतम आवश्यकतानुसार कार्य कराकर 15 दिन में कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण कार्यालय संचालित किया जाए। विस्तृत रूप से विचार–विमर्श के उपरांत अनुमानित व्यय की उपरोक्तानुसार स्वीकृति अनुमोदित की गयी। वर्तमान में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं है इसलिए विभिन्न प्राधिकरणों से अंशदान के रूप में निम्न धनराशि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के खाते में जमा की जायेगी और प्रस्तावित व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।

1–	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	–	रू0 80 लाख
2–	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	–	रू0 40 लाख
3–	दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	–	रू0 50 लाख
4–	टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण	–	रू0 2 लाख
5–	नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	–	रू0 5 लाख
6–	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	–	रू0 2 लाख

उपरोक्त विषय पर चर्चा के दौरान मा0 मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये कि जो नवनिर्मित स्थानीय प्राधिकरण हैं उन्हें अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत दायित्वों के निवर्हन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपने श्रोतों से धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी ताकि क्षेत्र का समेकित विकास प्रारम्भ करते हुए जनसाधारण को एक नियोजित विकास उपलब्ध हो सके।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/समस्त स्थानीय प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक–5 आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण गठन हेतु सीड कैपिटल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय – नवगठित प्राधिकरण हेतु सीड कैपिटल की आवश्यकता पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श हुआ और निर्णय हुआ कि सीड कैपिटल के रूप में रू0 5 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाए ।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक–6 हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया। वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हरिद्वार विकास क्षेत्र का मास्टर प्लान बना हुआ है परन्तु रूड़की तथा आसपास के क्षेत्र का सर्वे इत्यादि का कार्य कराया जाना है। हरिद्वार–रूड़की विकास क्षेत्र की स्वीकृति मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है। विचार–विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दायित्व दिया जाए और शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए महायोजना का प्रस्ताव अगली बैठक में संस्तुति सहित प्रस्तुत किया गया।

(कार्यवाही– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)

विषय क्रमांक–7 अन्य स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन हेतु सर्वेक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

निर्णय – उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अधीन अन्य स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन हेतु विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि हल्द्वानी विनियमित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए तथा जनपद उधमसिंह नगर में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण के गठन का सर्वेक्षण कर विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)

विषय क्रमांक–8 शापिंग माल एवं मल्टीस्टोरी बिल्डिगों के कार पार्किंग की व्यवस्था करना।

निर्णय – प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह भी संज्ञान लिया गया कि प्रारम्भिक रूप से समस्त विकास क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों में स्वीकृत पार्किंग के अनुसार निर्माण एवं पार्किंग नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मा0 मंत्री, आवास द्वारा निर्देश दिये गये कि सचिव, आवास की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में पार्किंग सुनिश्चित कराने हेतु स्पष्ट निर्देश सम्बन्धित को दिये जाये और 15 दिन में सम्बन्धित द्वारा पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित न होने पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा ऐसे स्थलों का चिन्हिकरण पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड)

विषय क्रमांक–9 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण एवं उसके आवंटन के संदर्भ में।

निर्णय – प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि उक्त प्राविधान के लागू होने से वर्तमान तक व्यवसायिक प्रयोग के स्वीकृत मानचित्रों, निर्मित व्यवसायिक भवनों, निर्माणाधीन व्यवसायिक भवनों का विवरण (नवम्बर, 2011 से 14–1–2013 एवं भवन उपविधि में संशोधन दिनांक 15–1–2013 से वर्तमान तक) तथा स्वीकृति के सापेक्ष स्थल पर प्रारम्भ न होने वाले व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में समस्त प्राधिकरणों एवं समस्त विनियमित क्षेत्रों से विवरण प्राप्त कर आगामी बैठक में अग्रेत्तर निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया शैल्टर फण्ड के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है इसलिये शासन स्तर पर कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर अनुरोध किया जाए और यह भी निर्णय हुआ कि शैल्टर फण्ड के लिए धनराशि सहित भूमि प्राप्त करने के अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया जाए। विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/समस्त प्राधिकरण)

विषय क्रमांक–10 गैरसैण में विकास प्राधिकरण अथवा विनियमित क्षेत्र के गठन पर विचार।

निर्णय – स्थगित।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक–11 दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु विचार किया जाना।

निर्णय – प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में एक सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किया जाए तथा उक्त क्षेत्र में छोटे–छोटे शहर/आबादी विकसित करने की योजना पर कार्यवाही की जाए। योजना में मुख्यतः उच्च स्तरीय स्कूल एवं हास्पिटल का प्राविधान प्राथमिकता पर करने पर पलायन को रोकने में सहायता मिलेगी तथा ऐसी योजनाओं हेतु

भारत सरकार से वित्त पोषण की व्यवस्था का अध्ययन किया जाए। इन योजनाओं को पीपीपी मोड पर विकसित करने पर जनसहभागिता के साथ–साथ वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होगी। इसी प्रकार उत्तराखण्ड के मुख्य शहरों में आवासीय सुविधाओं हेतु शहर के बाहरी क्षेत्रों में नया टाउनशिप विकसित किया जाए। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उपरोक्तानुसार सर्वे कराकर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)

विषय कमांक–12 उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी अधिनियम तैयार किया जाना।

निर्णय – प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित से भी सुझाव प्राप्त किए जाये। उत्तर प्रदेश में लागू अधिनियम में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यथासंशोधन करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)

विषय कमांक–13 लेखा सम्बन्धी कार्यो हेतु बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में।

निर्णय – उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल, अंशदान तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आय तथा व्यय के लेखा–जोखा हेतु बैंक खाता खोले जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

विषय कमांक–14 प्राधिकरणों हेतु लैण्डबैंक की व्यवस्था किया जाना।

निर्णय – प्रस्ताव पर किए गये विचार–विमर्श में यह निर्णय लिया गया कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 17–5–2014 में जारी आदेशों का अनुपालन किया जाए और लैण्डबैंक हेतु सर्वप्रथम राजकीय भूमि, ग्राम समाज भूमि एवं नगर निगम की भूमि चिन्हित कर अवस्थापकीय योजनाओं हेतु उपयोग किया जाए। प्राधिकरणों द्वारा इस हेतु जिलाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करने के निर्देश दिये गये। योजना हेतु आवश्यकतानुसार आपसी समझौते को भूमि क्रय करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भूमियों के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है, के संबंध में पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

(कार्यवाही– समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण)

विषय कमांक–15 स्थानीय विकास प्राधिकरणों में हो रहे अवैध निर्माण पर नियंत्रण किया जाना।

निर्णय – उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि स्थानीय प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर पूर्णतया अंकुश लगाने हेतु

तुरंत कार्यवाही करे और उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास स्तर से भी एक कमेटी बनाकर प्राप्त शिकायतों की तथा आदेशानुसार आकस्मिक जांच कर अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण)

<u>मा0 [redacted] की सहमति से सम्मिलित अन्य बिन्दु:–</u>

विषय क्रमांक–16 एमडीडीए में प्रचलित ERP Software को अन्य प्राधिकरणों में प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

निर्णय – मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा online map approval, online grievance Redress System का संचालन किया जा रहा है जिसके साफटवेयर के समस्त अधिकार भी प्राधिकरण के पास है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण के साफटवेयर को अन्य प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में भी customization & implementation का कार्य प्राधिकरण के साफटवेयर सेन्टर से नेगोशिएशन करने पर सहमति व्यक्त की गयी क्योंकि इससे अन्य प्राधिकरणों पर कम व्यय भार की सम्भावना होगी।

(कार्यवाही–समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक–17 भवनों की ऊंचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

भवनों की ऊंचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अनुभवी व्यक्तियों का परामर्श प्राप्त कर एवं कार्यशाला आयोजित कर बिल्डिंगों की ऊंचाई बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को विचार विमर्श कर शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)

28/8/2014

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव/मुख्य प्रशासक

<u>संख्या–972 /V/आ0–2014– दिनांक 28 अगस्त, 2014</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– बोर्ड में नामित समस्त सदस्य।
2– उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
3– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।
4– बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

आज्ञा से,
28/08/2014

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/अपर मुख्य प्रशासक